सं. 677/25 आपदी उनवान मोगी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1/11/25 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 2/12/25 को पेश हो।

आदेश से रीडर

2/12/25 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसिएशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 5/12/25 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

5/12/25 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप.। प्रतिवादी सं. 1 के विधिक वारिसान 1/1 लगा. 1/6 की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत अपंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 5/4/1989 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है, उक्त अपंजीकृत विक्रय पत्र 25000 रु (अक्षरे पच्चीस हजार रु) का है जिसका पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार 100 रु से अधिक मूल्य का दस्तावेज का पंजीयन आवश्यक है तथा माननीय न्यायालय को अपंजीकृत दस्तावेजों के संबंध में श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वादी का वाद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उठाये गये उज्र पर वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति का निस्तारण तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त साक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर ही सम्भव है। अतः प्रतिवादी की आपत्ति खारिज किये जावे।

उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा का नहीं है क्योंकि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र

प्रतिवादी नं. 1 के विधिक वारिसान 1/1 ता 1/6 की ओर से उ. T P.K. चौधरी)

— लगातार —

5/12/25

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

अणदी v/s मांगी 677/25

5/12/25 का आधार 25000रु (अक्षरे पच्चीस हजार रु) मूल्य का अपंजीकृत विक्रय पत्र है। 100 रु से अधिक मूल्य के दस्तावेज का पंजीयन कराया जाना पंजीयन अधिनियम के अनुसार आवश्यक है। अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा के वाद का श्रवणाधिकार न्यायालय राजस्व को नहीं होने से धारा 151 जा. दीवानी में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

5/12/25

सहायक [illegible] र,
भीलवाड़ा